



माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश विधानसभा के अधिनियम क्रमांक 15, 1990 द्वारा स्थापित)
MAKHANLAL CHATURVEDI NATIONAL UNIVERSITY OF JOURNALISM & COMMUNICATION
(Setup by Act No. 15, 1990 of M.P. Legislative Assembly)

क्रमांक/भ.शा. /2026/ २२११

भोपाल, ०८/08/2026

दर-आमंत्रण

प्रति,

विषय : विश्वविद्यालय के माखनपुरम परिसर, बिसनखेड़ी एवं नगर परिसर, एम.पी.नगर, भोपाल में 15 अगस्त, 2026 (स्वतंत्रता दिवस) पर लाइटिंग व्यवस्था करने के लिए दरें आमंत्रित।

विश्वविद्यालय के माखनपुरम परिसर, बिसनखेड़ी एवं नगर परिसर, एम.पी.नगर, भोपाल में 15 अगस्त, 2026 (स्वतंत्रता दिवस) पर लाइटिंग व्यवस्था करने के लिए दरें आमंत्रित की जाती है। इच्छुक आपूर्तिकर्ता अपनी दरे “कुलसचिव, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल” के नाम से दिनांक 10-08-2026 को अपराह्न 3.00 बजे तक स्पीड पोस्ट/कोरियर/पत्रवाहक के माध्यम से विश्वविद्यालय के भण्डार शाखा, चाणक्य भवन, प्रथम तल, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, माखनपुरम परिसर, म.प्र.शूटिंग अकादमी के पास, बिसनखेड़ी, भोपाल- 462044 (म.प्र.) के पते पर भेज सकते हैं। लाइटिंग व्यवस्था के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का विवरण निम्नानुसार है :-

बिशन खेड़ी परिसर				
स. क्र.	सामग्री का विवरण	संख्या (नग)	प्रति नग उल्लेखित राशि समस्त कर सहित	कुल उल्लेखित राशि समस्त कर सहित
1.	LED Light (60 मीटर)	950		
2.	निवाड़ वाली Light (60 मीटर)	240		
3.	PAR Light	190		
विकास भवन परिसर				
1.	LED Light (60 मीटर)	250		
2.	निवाड़ वाली Light (60 मीटर)	45		

नियम व शर्तें :-

- उल्लेखित संख्या के आधार पर विश्वविद्यालय के चाणक्य भवन, गणेश शंकर विद्यार्थी सभागार, नालंदा पुस्तकालय, तक्षशिला भवन, विक्रमशीला भवन, विकास भवन एवं मुख्य गेट पर लाइटिंग विश्वविद्यालय प्रशासन के निर्देशानुसार लगानी होगी।
- निर्धारित समयावधि के पश्चात् फर्मों से प्राप्त दरों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
- स्वयं के व्यय पर विश्वविद्यालय के बिशनखेड़ी परिसर एवं विकास भवन परिसर में निर्धारित स्थान एवं समय पर सामग्री उपलब्ध करवाकर लाइटिंग व्यवस्था कराना होगा।
- फर्म/संस्था/प्रोपाइटर का जी.एस.टी. नंबर तथा पैन कार्ड संलग्न करें।
- किसी भी दर आमंत्रण निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत या निरस्त करने का अधिकार माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल को होगा।
- सामग्री एवं कार्य कार्य की गुणवत्ता अपेक्षित मानदण्डों के अनुरूप न होने पर भुगतान देय नहीं होगा।
- कार्य आदेश जारी करने के 3 दिवस में सामग्री की आपूर्ति विश्वविद्यालय में करनी होगी।
- भुगतान हेतु देयक तीन प्रतियों में प्रस्तुत करेंगे।

(प्रो. पी. शशिकला)
प्रभारी कुलसचिव